FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/07/2022 18:58 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/03/2019 **Date To (दिनांक तक):** 23/03/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/07/2022 **Time (समय):** 18:33 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/07/2022 18:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 90 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गाँव साकरा,तहसील ढाण्ड,जिला कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Suresh Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 02/04/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**Karnal, INDRI, KARNAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**Karnal, INDRI, KARNAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9896207223

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जितेन्द्र कुमार			1. सरपंच ग्राम पंचायत,साकरा कैथल, KAITHAL,HARYANA,INDIA
2	सुन्दर लाल			1. उप मण्डल अधिकारी,सेवानिवृत,कैथल KAITHAL,HARYANA,INDIA
3	राजबीर			1. कनिष्ठ अभियन्ता,पंचायती राज,KAITHAL,HARYANA,INDIA
4	रोहित शर्मा		Father's Name: बलवान शर्मा	1. वासी चुहड माजरा,जिला कैथल, KAITHAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
थाना प्रबन्धक,
राज्य चौकसी ब्यूरो ,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।
श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 05 दिनांक 02.07.2021 कैथल मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ के यादि क्रमांक 61/80/2020-2-चौ-।। दिनांक 29.06.2021 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक 10016/आई-1/रा.चै.ब्यूरो (ह0) दिनांक 02.07.2021 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय उप महानिरीक्षक, रा0चै0ब्यू0 अम्बाला में पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमे सुरेन्द्र सिंह, शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत अधिकारी की सिफारिश के आधार पर आरोप था कि सुरेन्द्र शर्मा बी.डी.पी.ओ. ढांड जिला कैथल द्वारा अपने कार्यकाल वर्ष 2018 से दिनांक 25.07.2019 तक समिती मे कन्टीजैन्सी पंचायत फंड का जो पैसा आयाध् ईक्कठा हुआ, वह पैसा कंहा-कंहा पर लगाया गया है, जिस बारे उसे (शिकायत कर्ता को) मालूम है और सुरेन्द्र शर्मा बी.डी.पी.ओ. ढाण्ड द्वारा 35-40 लाख रुपये का गबन किया है की जांच करने बारे तथा शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 03.01.2020 को सी0एम0 विण्डो शिकायत में पूर्व दिये गये ब्यान अनुसार उपमण्डल अधिकारी की रिपोर्ट पर सरंपच ग्राम पचायत फरल से राशि न लेने बारे।

जांच में लगाये गये आरोप की पड़ताल उप निरीक्षक रामेश्वर दास, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला द्वारा की गई। रिकार्ड अनुसार अन्य कार्यो के अलावा पडताल के दौरान पाया गया कि सुन्दर लाल उप मण्डल अधिकारी की तैनाती वर्ष 2019 में खण्ड ढाण्ड में व विकास जे.ई की तैनाती ग्राम पंचायत साकरा में न होते हुये दिनांक 01.03.2019 से 23.03.2019 तक ब्राहामण चैपाल साकरा पर मैसेज बी.पी.आर ट्रेडिग कम्पनी ढाण्ड के भिन्न-2 बिलो अनुसार 52442 रू0 रंग-रोगन, पुटी का सामान खरीदकर मैस्ट्रोल अनुसार मजदूर जिनके पूर्ण पते न दिखाकर पर 71136 रू0 का तैयार करके चैपाल पर कुल 1,23,578 रू0 कण्टीजण्सी फण्ड से खर्च करने पाये गये है परतु ब्राहामण चैपाल का कार्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा करवाने पर गांव साकरा के श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार, दिनेश कुमार पुत्र श्री राज कुमार, श्री शिशपाल शर्मा पुत्र श्री ज्ञान चन्द, श्री बालकिशन शर्मा पुत्र श्री मंगत राम वासीयान गांव साकरा के कथनानुसार वर्ष 2019 में ब्राहामण चैपाल पर पेन्ट/पुट्टी का कार्य विश्वनाथ शर्मा पुत्र श्री रामदत्त शर्मा व ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री बनारसी शर्मा वासीयान गांव साकरा द्वारा मिलकर अपनी ही जाति (ब्राहामण) के व्यक्तियो से पैसे इकटठा करके पेन्ट का सामान मैसर्ज न्यू भारत पेन्ट स्टोर ढाण्ड के मालिक जसविन्द्र सिहं से बिल न0 428, 429 430 दिनांक 15.03.2019 अनुसार कुल 29609 रू0 का सामान खरीदकर मैसर्ज मालिक जसविन्द्र सिंह के माध्यम से मजदूर रमेश कुमार ठेकेदार पुत्र चन्देवरी मण्डल वासी राधाकृष्ण के पास गांव लाउड तहसील, जिला व थाना सपूल बिहार व उसके गांव के छोटे लाल पुत्र स्व0 विश्वनाथ यादव, अजय मंडल पुत्र श्री टुकल मण्डल जो बिहार के रहने वाले है, के द्वारा किया जाना बतलाया गया और किये गये पेन्ट/पुट्टी कार्यो की मजदूरी रमेश ठेकेदार के कथनानुसार विश्वनाथ शर्मा से ली जानी बतलाई गई है। तकनीकी अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के दौरान चैंकीदार के बतलाए अनुसार भी पेंट का कार्य ब्राहमण समाज द्वारा पैसे इकट्ठे करके करवाया जाना बतलाया गया है। परन्तु सुन्दर लाल उप मण्डल अधिकारी,

राजबीर कनिष्ठ अभियन्ता व जितेन्द्र कुमार सरपंच ग्राम पंचायत साकरा द्वारा आपस में मिलीभगत करके मैसर्ज बी0पी0आर0 ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक रोहित शर्मा पुत्र बलवान शर्मा वासी चुहड माजरा जिला कैथल से जाली बिल लेकर ब्राहमण चौपाल पर दिनांक 01.03.2019 से 23.03.2019 तक रंग रोगन पेन्ट व मजदूरी पर मु0 1,23,578 रू0 का खर्च करना दिखाकर व जाली रिकार्ड तैयार करके जुर्म जेरधारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी, भा.द.स. व 13(1) (a) r/w 13(2) PC Act 1988 का अपराध किया जाना पाया गया है जिस कारण जितेन्द्र कुमार सरपंच ग्राम पंचायत साकरा, सुन्दर लाल उप मण्डल अधिकारी (सेवानिवृत) व राजबीर कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज व मालिक बी0पी0आर0 ट्रेडिंग कम्पनी रोहित शर्मा पुत्र बलवान शर्मा वासी चुहड माजरा जिला कैथल के विरूद्व उक्त धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव देकर व अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी की मिलीभगत पाए जाने पर उसे भी अभियोग में देख लिए जाने बारे अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भिजवाई गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 61/80/2020-2-चौ-।। दिनांक 22.06.2022 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 10416/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 (ह) दिनांक 30.06.2022 अनुसार उपरोक्त के विरूद्व अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए है।

अतः जितेन्द्र कुमार सरपंच ग्राम पंचायत साकरा, सुन्दर लाल उप मण्डल अधिकारी (सेवानिवृत) व राजबीर कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज व मालिक बी0पी0आर0 ट्रेडिंग कम्पनी रोहित शर्मा पुत्र बलवान शर्मा वासी चुहड माजरा जिला कैथल के विरूद्व उक्त धाराओ के तहत अभियोग अंकित किए जाने के लिए लेख थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया ईलाका मैजीस्ट्रट, उच्च अधिकारीगण व सम्बंधित विभाग को भिजवाई जाए और अंभियोग अंकित करने उपरान्त मिशल मुकदमा आगामी अनुसंधान हेतू मन निरीक्षक के पास भिजवाई जाए।

हस्ताक्षर अंग्रेजी Suresh

निरीक्षक

राज्य चौकसी ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 28.07.2022

At. 03.30 PM

अज थानाः- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 16 दिनांक 28.07.2022 बाजूर्म उपरोक्त थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कैथल व उच्चाधिकारियों, के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, कैथल भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Rank (पद):** I (Inspector)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Kumar

No. (सं.): 50 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.